संख्याः 191(1)/44-1-2010-12/2010

प्रेषक,

श्री हरि राज किशोर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रशासनिक विभाग के
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 21 मई,2010

विषयः- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड/वेतनमान एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृति।

महोदय,

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-31/दस-2010-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 18 जनवरी,2010 के प्रस्तर-7 एवं सार्वजनिक उधम अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 1105/44-1-2009-77/2009, दिनांक 16 अक्टूबर,2009 के प्रस्तर-11 के क्रम में सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड/वेतनमान एवं ग्रेड वेतन निम्न शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य कराये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(क) प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में कार्यरत कार्य प्रभारित कर्मचारियों को छठे वेतनमान की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में उन्ही सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के संबंध में विचार किया जायेगा जिनके पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों को यह सुविधा पहले से उपलब्ध करा दी गयी है । ऐसे सार्वजनिक उपक्रम/निगम जिनके पूर्णकालिक/नियमित कर्मचारियों को अभी तक छठे वेतनमान की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी है वहॉ पर यदि कार्य प्रभारित कर्मचारी उपलब्ध है तब उनके संबंध में विचार नहीं किया जाना है ।

(ख) पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ अनुमन्य कराये जाने पर आने वाले व्यय भार को संबंधित सार्वजनिक उपक्रम/निगम स्वयं वहन करेगा एवं किसी प्रकार की राजकीय सहायता अनुमन्य नहीं होगी ।

(ग) निगम अपनी वित्तीय क्षमता का सही-सही आंकलन करेंगे एवं कार्य प्रभारित कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ अनुमन्य कराये जाने पर कितने अतिरिक्त व्यय भार की आवश्यकता होगी इसका भी आंकलन करेंगे । यदि वे संतुष्ट होते हैं कि वे अपने संसाधनों से ही इसे वहन कर लेंगे तब इसका प्रस्ताव अपने निदेशक मण्डल से पारित कराकर अपने प्रशासकीय विभाग को भेजेंगे । प्रशासकीय विभाग प्रकरण का गहन परीक्षण करेगा एवं अपनी संतुष्टि कर लेने के पश्चात मा0 मंत्रि परिषद के लिए टिप्पणी प्रस्तुत करेंगे । इस टिप्पणी में प्रशासकीय विभाग स्पष्ट रुप से इंगित करेंगे कि उन्होने निगम की वित्तीय क्षमता का आंकलन कर लिया है और वे संतुष्ट है कि कार्य प्रभारित कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना अनुमन्य कराने पर अतिरिक्त व्यय भार निगम स्वयं वहन कर सकता है । प्रशासकीय विभाग अपनी टिप्पणी में यह भी स्पष्ट इंगित करेगें कि निगम को इस हेतु कोई राजकीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी । मा0 मंत्रि परिषद हेतु प्रस्तुत की जाने वाली टिप्पणी में निगम द्वारा आडिटेड लेखा के आधार पर शुद्ध लाभ एवं नगद लाभ के ऑकड़े भी प्रस्तुत किये जायेंगे जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके ।

(ध) प्रशासकीय विभाग उपरोक्तानुसार अपना प्रस्ताव मा0 मंत्रि परिषद के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे एवं मा0 मंत्रि परिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरुप कार्यवाही करेंगे ।

(ङ) पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ मा0 मंत्रि परिषद के आदेश प्राप्त होने के पश्चात एवं शासनादेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा । किसी भी प्रकार का कोई एरियर अनुमन्य नहीं होगा । वेतन निर्धारण के संबंध में वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी

जो कि सार्वजनिक उधम विभाग के शासनादेश संख्याः1105/44-1-2009-77/2009, दिनांक 16 अक्टूबर,2009 में उल्लिखित है । इन कार्य प्रभारित कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते एवं नगर प्रतिकर भत्ते की वही दरें अनुमन्य होगी जो कि निगमों के नियमित/ पूर्णकालिक कर्मचारियों को देय हैं ।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-2-598/दस-2010, दिनांक 20 मई,2010 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(हरि राज किशोर)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 191(ii)/44-1-2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ।
2- सार्वजनिक उपक्रमों/ निगमों के प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी ।
3- वित्त वेतन आयोग अनुभाग-1/2
4- महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो,उ0प्र0, 242-जवाहर भवन, लखनऊ।
5- सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2/आडिट प्रकोष्ठ/प्रबन्ध पत्रिका के प्रकार्शनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सी0पी0 सिंह)
उप सचिव।

शासनादेश संख्याः191(1)/44-1-2010, दिनांकः21 मई,2010 का संलग्नक।

क्रम सं0	वर्तमान वेतनमान	पुनरीक्षित वेतन संरचना		
		वेतन बैण्ड/ वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतन बैण्ड/वेतनमान	सादृश्य ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5
1	2550-55-2660-60-3200	-1 एस	4440-7440	1300
2	2610-60-3150-65-3540	-1 एस	4440-7440	1400
3	2650-65-3300-70-4000	-1 एस	4440-7440	1650
4	2750-70-3800-75-4400	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	1800
5	3050-75-3950-80-4590	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	1900
6	3200-85-4900	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	2000
7	4000-100-6000	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	2400
8	4500-125-7000	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	2800
9	4500-125-7250	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	2800
10	5000-150-8000	वेतन बैण्ड-2	9300-34800	4200

(सी0पी0 सिंह)
उप सचिव।